PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Rashtriya Sahara, Delhi
Friday, 26th November 2010, Page: 12
Width: 14.77 cms Height: 10.16 cms, Ref: pmin.2010-11-26.53.65

दवा उद्योग में पारदर्शिता के लिए आचार संहिता शीघ्र

नई दिल्ली (एसएनबी)। कीमतों पर अंकुश लगाने के तमाम प्रयासों के बावजूद देश में अंग्रेजी दवाओं के महंगे होते जाने का सबसे बड़ा कारण डाक्टरों, दवा निर्माताओं और विक्रेताओं के बीच नापाक रिश्ते है। इसके चलते इस क्षेत्र में मार्केटिंग की गलत परिपाटी प्रवेश कर गई है। लोकसभा में रसायन राज्यमंत्री श्रीकांत जेना ने दवा उद्योग में पारदर्शिता लाने के लिए जल्द ही एक आचार संहिता लागू करने की जानकारी दी। लिखित सवाल के जवाब में जेना ने इस बात को माना कि दवाइयों के महंगी होने की बड़ी वजह डाक्टरों, दवा निर्माताओं और विक्रेताओं का जबरदस्त कॉकस है। उन्होंने इसे तोड़ने के लिए जल्दी ही आम सहमति से एक आचार संहिता लाने का संकेत दिया।

▶ दवाओं की कीमतों पर नहीं लग रहा अंकुश

उन्होंने कहा कि दवा निर्माण एवं उनकी मार्केटिंग में सक्रिय संगठनों ने इस बावत अपनी सहमति दे दी है और अब एक स्वस्थ माहौल के तहत दवा बेचने की गलत परिपाटी को दूर किया जाएगा ताकि आम जनता को सस्ते मूल्य पर दवा मिल सके। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्रालय और मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया ने भी दवा निर्माण करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के माध्यम से तरह-तरह के प्रलोभनों व गिफ्ट के प्रचलन पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ जंतर-मंतर पर धरना दिया था। इसी के बाद अब दवा निर्माण कंपनियों पर नियंत्रण रखने वाले रसायन मंत्रालय ने भी अपनी मंशा जता दी है कि डाक्टरों को दवा कैंपनियों के प्रलोभनों से बचना चाहिए ताकि दवाइयों के मूल्य पर अनावश्यक बढ़ोतरी न हो। लोकसभा में राज्य मंत्री ने बताया कि दवा कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों के सवंर्धन में आने वाले खर्च को लेकर औषध विभाग ने मरीजों के हित में विचार करना शुरू कर दिया है क्योंकि इस तरह के समाचार भी सामने आए है जिसमें डाक्टरों पर आरोप लगते रहे है। एक बड़ी सफलता बताते हुए जेना ने कहा है कि आर्गेनाइजेशन आफ फार्मास्यूटिकल्स प्रोड्यूसर्स आफ इंडिया, इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने सूचित किया है कि कंफेडरेशन आफ इंडियन फार्मास्यूटिकल्सइंडस्ट्री, फेडरेशन आफ फार्मास्टिकल्स इंटरप्रेन्युर्स, इंडियन फार्मास्यूटिकल्स एलायन्स व एसएमई फार्मा इंडस्ट्रीज कंफेडरेशन के साथ मिलकर एक समान मार्केटिंग परिपाटी संहिता तैयार की गई है।